मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक एफ.2-11/96/9-1.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन,
भोपाल.

विषय .—महत्वपूर्ण प्रकरणों में नस्तियां तुरन्त प्रस्तुत करने बाबत्.

सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका के अध्याय-6 की कंडिका-13 में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं कि महत्वपूर्ण प्रकरणें में नस्ती तुरन्त अधिकारी स्तर पर प्रस्तुत की जाये. तथापि यह पाया जा रहा है कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यालय द्वारा ऐसी नस्तियां जिनका स्वरूप महत्वपूर्ण है, वे तत्काल ही संव्यवहारित की जाकर उच्च स्तर पर अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की जाती है. कतिपय प्रकरणों में एक-एक दो-दो माह तक महत्वपूर्ण नस्तियां प्रस्तुत ही नहीं की गई है. यह स्थिति अच्छी नहीं कहीं जा सकती है. इस संबंध में सचिवालयीन कार्यालय पुस्तिका के अध्याय-6 की कंडिका-13 का उद्धरण संलग्न करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में मंत्रालय के समस्त विभागों द्वारा ऊपर उल्लिलिखत कंडिका 13 में दिये गये निर्देशों को प्रभावी ढंग से पालन किया जावे. यहां यह दोहराना समयाचीन होगा कि कार्यालय में प्राप्त समस्त नस्तियां विशेष तौर पर महत्वपूर्ण नस्तियों में द्रुतगति से कार्यवाही कर उच्च अधिकारियों के आदेश के लिए प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी अनुभाग अधिकारी की है. अतः मंत्रालय के समस्त अनुभाग अधिकारी , विशेष तौर पर महत्वपूर्ण नस्तियों को तत्काल ही प्रस्तुत कराने की दिशा में निरन्तर कार्यवाही करें और ऊपर उल्लिखित कंड़िका-13 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन करें.

हस्ता./-
(सी. डब्ल्यू लोबो)
अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ.2-11/96/9-1/

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 1996

प्रतिलिपि :—

1. समस्त अपर सचिव/उपसचिव/ अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

2. समस्त अनुभाग अधिकारी की और पालनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(सी. डब्ल्यू लोबो)
अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.